



राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (अनुकूलन आदेश 2001) के तहत
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन गठित एक संविधिक निकाय

पता - शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, चिकित्सालय भवन, रायपुर, वेबसाइट-WWW.schcg.in ई-मेल registrar@schcg.in

सूचना

राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़ में पंजीकृत होमियोपैथी चिकित्सा व्यवसायियों को परिषद् द्वारा परिचय पत्र (आई कार्ड) जारी किया जाना है, तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे कार्यालयीन समय में शुल्क राशि रू. 100/- (रू. एक सौ मात्र) एवं एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

(परिषद् द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

राज्य होमियोपैथी परिषद्, छत्तीसगढ़
रायपुर



राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (अनुकूलन आदेश 2001) के तहत
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन गठित एक संविधिक निकाय

पता – शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, चिकित्सालय भवन, रायपुर, वेबसाइट—www.schcg.in ई-मेल registrar@schcg.in

पंजीयन परिषद् द्वारा परिचय – पत्र की जानकारी के संबंध में

नाम :-
पिता/पति का नाम :-
जन्म तिथि :-
शैक्षणिक योग्यता :-
पंजीयन क्रमांक :-
आधार नम्बर :-
स्थायी पता :-
मेल आई.डी :-



चिकित्सा व्यवसायी का हस्ताक्षर